



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

File No. RG/4/2018/STGUP/SEOTH/RU-I

Dated: 30/01/2019

To,

1. The District Magistrate,
District- Kushinagar,
(Uttar Pradesh)
Tel: 05564-240204.
E-mail: dmkus@nic.in

2. The Tehsildar,
Tehsil- Padrauna,
District- Kushinagar
(Uttar Pradesh).

Sub: जिला प्रशासन जनपद- कुशीनगर, द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में - श्री जयकिशन कुमार गोंड, ग्राम- बड़गाँव, (टोला- धरमागर छपरा) पोस्ट- कुबेरस्थान, तहसील- पड़रौना, जनपद- कुशीनगर, (उत्तर प्रदेश) का दिनांक 31.12.2018 का अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर दिनांक 15.01.2019 को 02.00 बजे सुश्री अनुसुईया उड्डेके माननीय उपाध्यक्ष, एनसीएसटी के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

यह निवेदन है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर की गई/ की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट एनसीएसटी को अवगत करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

Tel: 011-24641640

Copy to:

1. Shri Jai Kishan Kumar Gond,
S/o Veerballi Gond,
Village – Badgaon, (Tola- Dharmagar Chhapra),
Post – Kubersthan
Tehsil- Padrauna, District- Kushinagar,
(Uttar Pradesh).
(Mob: 8601099279)
2. Shri Radhey Shyam Gond,
District-President,
Akhil Bhartiya Gond Adivasi Sangh,
Kushinagar,
R/o Narkatiya Khurd, Post-Kasya,
District-Kushinagar,
(Uttar Pradesh).
(Mob: 9450477254)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

जिला - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा कुशीनगर जिले में गोंड जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने और गोंड को पिछड़ी जाति में घोषित करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसूईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 15/01/2019 समय 02.00 बजे सिटिंग का कार्यवृत्त।

(File No. RG/4/2018/STGUP/SEOTH/RU-I)


बैठक की तिथि - 15/01/2019 समय 2:00 बजे।

बैठक में भाग लेने वालों की सूची अनुबंध में है।

श्री जयकिशन कुमार गोंड, ग्राम- बड़गाँव, (टोला- धरमागर छपरा) पोस्ट- कुबेरस्थान, तहसील- पड़रौना, जनपद- कुशीनगर, (उत्तर प्रदेश) ने अभ्यावेदन दिनांक 31.12.2018 में बताया कि तहसीलदार- पड़रौना द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने प्रकरण में विचार विमर्श के लिए तहसीलदार पड़रौना तथा जिला अधिकारी, कुशीनगर तथा अभ्यावेदक के साथ दिनांक 15.01.2019 को सिटिंग आयोजित करने का निर्देश दिया। निर्देशानुसार सभी संबंधितों को सूचना जारी की गई।

बैठक में उपस्थित होने के लिए जिला अधिकारी, कुशीनगर ने एसडीएम पड़रौना को प्रतिनियुक्त किया तथा तहसीलदार पड़रौना एवं अभ्यावेदक तथा अन्य आवेदक उपस्थित हुये। तहसीलदार पड़रौना ने आयोग को अवगत कराया कि श्री जयकिशन कुमार गोंड को जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। श्री जयकिशन कुमार गोंड ने इसका समर्थन किया, परंतु कहा कि उनके परिवार के लोगों को जाति प्रमाण पत्र अभी भी जारी नहीं किया गया है।

श्री राधेश्याम गोंड, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, कुशीनगर जिला- कुशीनगर ने जिले में गोंड जाति के व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र न जारी करने के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदया का ध्यान आकर्षित किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने एसडीएम, सदर, जिला- कुशीनगर से प्रकरण पर प्रशासन द्वारा की गयी/ की जाने वाली कार्यवाही बताने को कहा। एसडीएम सदर जिला कुशीनगर ने अवगत कराया कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को 1359 फ़सली रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर तथा खातिहान की प्रतियाँ/ प्रमाण उपलब्ध कराने होते हैं। यदि आवेदक तहसीलदार ऑफिस से संतुष्ट नहीं है, तो वह मुझसे (एसडीएम) से समस्या निवारण हेतु मिल सकता है।


श्रीमती अनुसूईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार, Government of India
नई दिल्ली, India

विचार विमर्श के बाद आयोग ने निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने की अनुसंशा की, जिससे जिले में निवासरत गोंड समुदाय तथा अन्य समुदायों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई ना हो।

- (1) जिला प्रशासन को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मापदंड निर्धारित करने चाहिए, और उनका प्रचार- प्रसार स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय बाजारों में करना चाहिए। जिससे आवेदकों को सही मार्ग दर्शन मिल सके और वे सही सूचना संबन्धित अधिकारी/ कार्यालय में उपलब्ध करा सके।
- (2) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, प्रत्येक विकास खंड या अन्य स्तर पर शिविरों का आयोजन कर उनका निपटान किया जाना चाहिए।
- (3) आवेदक, यदि तहसीलदार कार्यालय से संतोषजनक उत्तर नहीं पाता है तो, वह संबन्धित उप जिला मैजिस्ट्रेट (एसडीएम) से मिलकर अपनी समस्या के बारे में अवगत कराये।

शु.मि. अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

List of participants in the sitting held on **15/01/2019 at 02:00 PM** in the case of Shri Jaikishan Kumar Gond and Shri Radhey Shyam Gond, District-President, Akhil Bhartiya Gond Adivasi Sangh, Kushinagar, Uttar Pradesh non-issuance of Gond community certificate by the Tehsildar- Padrauna, District- Kushinagar (Uttar Pradesh).

(F. No. RG/4/2018/STGUP/SEOTH/RU-I)

I National Commission for Scheduled Tribes

1. Ms. Anusuiya Uikey, In Chair
Hon'ble Vice-Chairperson
2. Shri Rajeshwar Kumar,
Assistant Director
3. Shri R.S. Misra,
Senior Investigator
4. Shri Gaurav Kumar,
PS to VC

II District Collector, District – Kushinagar, Uttar Pradesh

Shri G.C. Ram, SDM Sadar, Kushinagar

III Tehsildar, Padrauna District- Kushinagar

Shri S.K. Rai,

IV Petitioner

1. Shri Jaikishan Kumar Gond
2. Shri Radhey Shyam Gond